प्रयोग होने के कारण नालियों में जल प्रवाह अवरुद्ध हो रहा है, जिससे जलीय चक्र प्रभावित हो रहे हैं तथा मिट्टी में दब जाने पर जल सोखने की क्षमता बन्द हो जाती है व भूजल रिचार्ज भी प्रभावित होता है। गैसीफायर से गैस (60 प्रतिशत मिथेन, 15 प्रतिशत हाइड्रोजन, 15 प्रतिशत कार्बन मोनोऑक्साइड) बनती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने कूड़े के निस्तारण में गैसीफायर को अनुदान की श्रेणी से बाहर कर दिया है। एनजीटी की ओवरसाइट कमेटी से स्वीकृत प्रक्रिया है। एमएनआरई के शैक्षणिक शोध संस्थान सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा अनुसंधान संस्थान में हालिया प्रगति पर चौथे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में इस पद्धति को सर्वोत्तम पुरस्कार मिला। अब इससे सीएनजी, पेट्रोल, तरल ईंधन, औद्योगिक गैस व हाइड्रोजन बन रही है।

अतः मेरा आग्रह है कि भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय, एमएनआरई, एनजीटी और इस विधा पर काम करने वाले लोगों को मिलाकर एक समिति बनाये, ताकि इसकी व्यावहारिकता तथा भविष्य में इसको कार्यरूप में परिणत करने की दिशा पद्धति का निर्धारण हो सके।

Issue of beneficiary of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana

श्री ईरण्ण कडाडी (कर्णाटक): महोदय, 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को, तीन समान किश्तों में, प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। छोटे किसानों के लिए यह योजना अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि बुवाई से ठीक पहले नगदी संकट से जूझने वाले किसानों को बीज, खाद और अन्य इनपुट की उपलब्धता में सुविधा हो रही है। इस योजना के माध्यम से 8.5 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं और पिछले 4 वर्षों में 2 लाख, 60 हज़ार करोड़ रुपये की राशि किसानों के खातों में जमा की गई है। यह योजना किसान की आय दोगुनी करने हेतु एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इस योजना के लाभ से अभी भी कुछ छोटे किसान और उनके परिवार वंचित है, क्योंकि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों की पात्रता निर्धारण की अंतिम तिथि 1 फरवरी, 2019 है। इस योजना के अंतर्गत उन किसान परिवारों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जहाँ 1 फरवरी 2019 के बाद भूमिधारक की मृत्यु या किसी अन्य कारणों से भूमि का बँटवारा करना पड़ता है और भूमि का मालिकाना हक स्थानांतरित किया गया है। भूमि के नए मालिकों का नाम राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने के बाद भी भूमिधारक योजना का लाभ नहीं ले पाते।

मेरा सरकार से निवेदन है कि इस त्रुटि को सुधारा जाए और दिशानिर्देशों का संशोधन करके वंचित किसानों को इसके अंतर्गत लाने की अनुमति दी जाए, जो बँटवारे के पश्चात् भूमि स्वामित्व में बदलाव के कारण पंजीकृत नहीं हुए और 1 फरवरी, 2019 की अंतिम तिथि को समाप्त करके इसका लाभ हर लाभार्थी को मिले, इसका प्रावधान किया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, the House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, that is, the 21st December, 2023.

The House then adjourned at thirty-seven minutes past six of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 21st December, 2023.